The Allotment of Houses under Control of the Estate Department (Amendment) Act, 2016

Act 23 of 2016

Keyword(s):
Allotment, Estate Officer, Type, Political Party, Minister, Former Chief Minister, Employees Association, Journalist, Unauthorised Occupation

Amendments appended: 36 of 2016, 2 of 2020

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम-संख्या–190

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2016

भाद्रपद 25, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1403/79-वि-1–16-1(क)-26-2016
लखनऊ, 16 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 पर दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, विधान परिषद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, न्यासों, मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा न्यायमूर्तिगण को राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के आवंटन को विनियमित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 कहा जाएगा।

परिभाषायें

2–जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(क) 'आवंटन' का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी भवन के अध्यासन के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किये जाने से है;

(ख) 'राज्य सम्पत्ति अधिकारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पदा के प्रभारी अधिकारी से है;

(ग) 'लखनऊ' का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र से है;

(घ) 'आवास' का तात्पर्य राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन किसी भवन एवं उसके परिसर से है;

(ङ) 'अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत लखनऊ में कार्यरत राज्य सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवा के सदस्य या न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं;

(च) 'प्रकार' का तात्पर्य धारा–3 में यथा उल्लिखित भवनों के प्रकार से है;

(छ) 'किराया' का तात्पर्य ऐसी धनराशि से है जो किसी व्यक्ति को आवंटित निवास स्थान के अध्यासन के कारण उसे संदेय हो;

(ज) 'न्यास' का तात्पर्य ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों के नाम से सामाजिक कार्य के लिए स्थापित न्यास अथवा उनके आदर्शों, सिद्धांतों एवं सामाजिक कार्यों को अग्रसर करने के लिए कार्यरत न्यास से है, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत हो;

(झ) 'सोसाइटी' का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 के अधीन पंजीकृत हो और वे सामाजिक कल्याण एवं सार्वजनिक हित के क्षेत्र में कार्यरत हों;

(ञ) 'राजनैतिक दल' का तात्पर्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दल से है;

(ट) 'मंत्री'/'पूर्व मुख्यमंत्री' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 के अधीन परिभाषित किसी 'मंत्री' या 'पूर्व मुख्यमंत्री' से है;

(ठ) 'कर्मचारी संघ' का तात्पर्य ऐसे किसी कर्मचारी संघ से है जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिसका मुख्यालय लखनऊ में हो ;

(ड) 'पत्रकार' का तात्पर्य ऐसे किसी सम्पादक, उप-सम्पादक या पत्रकार से है जिसे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय स्तर से मान्यता प्रदान की गयी हो, जो पूर्णकालिक रूप से लखनऊ में सेवारत हो तथा जिसके समाचार-पत्र का कार्यालय लखनऊ में हो;

(ढ) 'अनधिकृत अध्यासन' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 में यथापरिभाषित अनधिकृत अध्यासन से है।

भवनों के प्रकार

3–राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के प्रकार निम्नवत् हैं:–

(1) प्रकार–एक

(2) प्रकार –दो

(3) प्रकार –तीन

(4) प्रकार –चार

(5) प्रकार –पॉच

(6) प्रकार –छः

(7) प्रकार –सात

आवंटन की पात्रता

4–विधान सभा के सदस्यों एवं विधान परिषद के सदस्यों हेतु चिन्हित भवनों से भिन्न राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के आवंटन की पात्रता निम्नानुसार होगी:–

क्रमांक	भवनों के प्रकार	आवंटन की पात्रता
01	प्रकार –1	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह–'घ' के कर्मचारी।
02	प्रकार –2	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह–'ग' के अराजपत्रित कर्मचारी।
03	प्रकार –3	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह–'ग' के राजपत्रित कर्मचारी।
04	प्रकार –4	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह–'ख' के अधिकारी/न्यायिक सेवा के अधिकारी, पत्रकार, सोसाइटी, मान्यता प्राप्त संघ।
05	प्रकार –5	मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री, न्यायिक सेवा के अधिकारी तथा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'क' के अन्य अधिकारी और उत्तर प्रदेश में कार्यरत न्यास और राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य ।
06	प्रकार –6 एवं 7	मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण तथा उत्तर प्रदेश में कार्यरत न्यास।

स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) समूह–'ख' के अधिकारियों का तात्पर्य सचिवालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों या समकक्ष वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों से है।

(ख) समूह–'क' के अधिकारियों का तात्पर्य सचिवालय में कार्यरत संयुक्त सचिव, विशेष सचिव या सचिव या समकक्ष वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों से है।

(ग) वरिष्ठ अधिकारी का तात्पर्य प्रमुख सचिव या समकक्ष वेतनमान या उच्चतर वेतनमान में कार्यरत किसी अधिकारी से है।

आवंटन करने की शक्ति

5–प्रकार 1 से 4 तक के भवनों का आवंटन राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा तथा प्रकार 5 से 7 तक के भवनों का आवंटन प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग के पूर्वानुमोदन से राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

आवंटन की अवधि

6–(1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन का आवंटन उनके लखनऊ में तैनात रहने की अवधि तक के लिए किया जाएगा। स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की दशा में आवंटितियों को अध्यासित आवास को उनके स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर रिक्त करना होगा।

(2) न्यासों से भिन्न अन्य आवेदकों को भवन का आवंटन दो वर्ष के लिए किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा उसके नवीकरण पर एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटन हेतु विचार किया जाएगा।

(3) किसी न्यास को भवन का आवंटन अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा तथा न्यास द्वारा आवेदन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अग्रतर अधिकतम पाँच वर्ष तक के लिए नवीकरण किया जा सकता है।

किराये का निर्धारण

7–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आवंटित किये गये भवनों का किराया, न्यास और सोसाइटी के मामले में बाजार दर से प्रभारित किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों, राजनैतिक दलों, पूर्व मुख्यमंत्री, कर्मचारी संघ एवं पत्रकारों को यथाविहित दर से प्रभारित किया जाएगा।

भवनों की बेदखली

8–सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनीतिक दलों, सोसाइटियों, न्यासों, कर्मचारी संगठनों तथा पत्रकारों द्वारा अनधिकृत अध्यासन को, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 के उपबन्धों के अधीन खाली कराया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति

9–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

10–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी कालावधि जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्य और कारण

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के भवनों के आवंटन, राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, विधान परिषद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, न्यासों, मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा न्यायमूर्तिगण को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा कार्यकारी नियमों के उपबन्धों और कतिपय मामलों में सांविधिक नियमों और अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन अब तक किये जाते रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए कोई पृथक् विधि नहीं है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त भवनों के आवंटन को विनियमित करने के लिए एक विधि बनायी जाय।

तदनुसार राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1403(2)/LXXIX-V-1–16-1(ka)-26-2016
Dated Lucknow, September 16, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Rajya Sampatti Vibhag Ke Niyantranadhin Bhawanon Ka Avantan Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 14, 2016.

THE ALLOTMENT OF HOUSES UNDER CONTROL OF THE ESTATE DEPARTMENT ACT, 2016

(U.P. Act no. 23 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to regulate the allotment of houses under the control of Estate Department to the employees and officers of the State Government, Employees association, political parties, journalists, officers of All India Service/judicial service, Member of Legislature Council, Member of Legislature Assembly, Trusts, Ministers, Chairman/Deputy Chairman of Legislative Council, Speaker/Deputy Speaker of Legislative Assembly and Justices.

IT IS HERRBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Allotment of Houses under the Control of the Estate Department Act, 2016;

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "Allotment" means to authorise a person to occupy a house under the provisions of this Act;

(b) "Estate Officer" means the Officer-in-charge of Estates to the Government of Uttar Pradesh;

(c) "Lucknow" means the area within the jurisdiction of Nagar Nigam Lucknow;

(d) "Residence" means a house and its premises under control of the Estate Department;

(e) "Officer" means an officer or employee of the State Government and includes a member of All-India Service working under the State Government or a member of judicial service working at Lucknow;

(f) "Type" means a type of houses as mentioned in section-3;

(g) "Rent" means the amount payable by a person on account of occupation of a residence alloted to him;

(h) "Trust" means a trust established for social work in the name of renowned person or a trust working for a furtherance of ideals, principles and their social works which is registered under the Indian Trust Act, 1882;

(i) "Society" means a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 and are working in the field of social welfare and public interest;

(j) "Political Party" means a party recognized by the Election Commission of India ;

(k) "Minister"/"Former Chief Minister" means a minister or a former Chief Minister defined under the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981;

(l) "Employees Association " means an Employees Association which is recognized by the State Government and the head quarter of which is at Lucknow;

(m) "Journalist" means an editor, a sub-editor or a journalist who has been recognized by Information and Public Relations Department from State headquarter level which is serving at whole time worker and the office of the newspaper of which is at Lucknow;

(n) "Unauthorised Occupation" means the unauthorised occupation as defined in the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972 and the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Certain Unauthorised Occupants) Act, 2010;

Type of Houses

3. The type of Houses under control of the Estate Department are as follows:-

(1) Type-i

(2) Type-ii

(3) Type-iii

(4) Type-iv

(5) Type-v

(6) Type-vi

(7) Type-vii

Eligibility for allotment

4. The eligibility for allotment of houses under control of the Estate Department except the houses earmarked for the Members of Legislative Assembly and Members of Legislative Council, shall be as follows:-

Sl. no.	Type of Houses	Eligibility for allotment
01	Type-1	Group-"D" employees working under the State Government.
02	Type-2	Group-"C" Non gazetted employees working under the State Government .
03	Type-3	Group-"C" Gazetted employees working under the State Government.
04	Type-4	Group-"B" officers working under the state Government /Officers of judicial services, journalist, society, recognized association.
05	Type-5	Minister/State Minister/Deputy Minister, officers of the judicial service and other officers of Group-"A" working under the State Government and the trust working in Uttar Pradesh, Chairman/Member of various statutory commissions under the State Government.
06	Type-6 and 7	Minister, Former Chief Minister, justices of High Court, senior officers, officers of the higher judicial services and the trust working in Uttar Pradesh.

Explanation:–For the purposes of this section:-

(a) Group-"B" officers means the Section Officers working in the Secretariat or a gazetted officers of the State Government working in the equivalent pay scale.

(b) Group-"A" officers means a Joint Secretary, Special Secretary or Secretary working in the Secretariat or officers of the State Government working in the equivalent pay scale.

(c) Senior officer means the Principle Secretary or any officer working in the equivalent pay scale or higher pay scale.

Power to allot

5. Type-1 to 4 Houses will be alloted by the Estate Officer and type-5 to 7 houses will be alloted by the Estate Officer with the prior approval of Principle Secretary/Secretary of the Estate Department .

Period of allotment

6. (1) The allotment of Houses to Officers of All India Service, officers of Judicial Service and officers /employees of the State Government shall be allotted for the period of their posting at Lucknow. In the case of transfer/retirement the Allottees shall vacate the residence occupied by them within 30 days from the date of their transfer/retirement.

(2) Allotment to other applicants except trust shall be made for a period of two years and the renewal thereof shall be considered by the State Government for allotment for a period of one year at a time.

(3) The allotment of House to a trust will be made for a maximum period of 05 years and the renewal for a further maximum period of five years may be made by the State Government on an application made by the trust.

Rent assessment

7. The rent of the houses alloted under the provisions of this Act shall be charged at market rate in the case of trust and society, and in case of Government employees/officers, political parties, former chief minister, employees association and journalist shall be charged at such rate as may be prescribed.

Eviction of Houses

8. The unauthorised occupation by Government officers, employees, political parties, society, trust, employee associations and journalist shall be evicted under the provisions of Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972 and the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Certain Unauthorised Occupants) Act, 2010 as the case may be.

Power to make rules

9. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to remove difficulties

10. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may , for removing such difficulty, by order published in the *Gazette*, direct that the provision of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adoptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient,

(2) No order under the sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The allotment of various types of houses under the control of Estate Department are being made to the employees and officers of the State Government, Employees associations, political parties, journalists, officers of All India Service/judicial service, Member of Legislative Council, Member of Legislative Assembly, Trusts, Ministers, Chairman/Deputy Chairman of Legislative Council, Speaker/Deputy Speaker of Legislative Assembly and Justices under the provisions of executive rules and in certain cases under the provisions of statutory rules and Acts by the Estate Department as yet. There is no separate law for this purpose. It has, therefore, been decided to make a law to regulate the allotment of the said houses.

The Allotment of Houses under Control of the Estate Department Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
RANG NATH PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 399 राजपत्र (हि०)–2016–(955)–599 प्रतियाँ (डी०टी०पी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 93 सा० विधायी–19–9–2016–(956)–300 प्रतियाँ (डी०टी०पी० / आफसेट)।

क्रम-संख्या–249

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 27 दिसम्बर, 2016

पौष 6, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1864/79-वि-1–16-1(क)-37-2016

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–यह अधिनियम राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2016 की धारा 2 का संशोधन

2–राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"2–(ण) 'वरिष्ठ पत्रकार' का तात्पर्य ऐसे पत्रकार से है जो कम से कम 15 वर्षों से किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र/समाचार, दूरदर्शन चैनल से किसी न किसी रूप से सम्बन्धित रहा हो और संवाददाता के रूप में कार्य किया हो अथवा वरिष्ठ स्तर पर लेखन या सम्पादन का कार्य किया हो।"

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, आवंटन हेतु पात्रता सूची में, प्रकार–5 के भवनों से सम्बन्धित क्रम संख्या 05 में शब्द "राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार" रख दिये जाएंगे।

धारा 6 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (3) में,—

(क) शब्द "अधिकतम 05 वर्ष की अवधि" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष की अवधि" रख दिये जाएंगे; और

(ख) शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक बार में दस वर्ष" रख दिये जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात :–

"7–इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आवंटित किये गये भवनों का किराया, न्यास और सोसाइटी के मामले में बाजार दर से प्रभारित किया जाएगा और अन्य आवंटितियों के मामले में किराया ऐसे दर पर प्रभारित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।"

धारा 8 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थातः–

"8–इस अधिनियम के किसी आवंटिती द्वारा किये गये अनधिकृत अध्यासन को, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अधीन खाली कराया जायेगा।"

उद्देश्य और कारण

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2016), विभिन्न व्यक्तियों को राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों के आवंटन को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है और निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है,–

(क) शब्द "वरिष्ठ पत्रकार" को परिभाषित करना और प्रकार–5 के भवनों से सम्बन्धित पात्रता सूची में "वरिष्ठ पत्रकार" को सम्मिलित करना;

(ख) किसी न्यास को भवन आवंटन की अवधि पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करना और उसका अधिकतम पांच वर्ष से बढ़ाकर एक बार में दस वर्ष तक के लिए नवीकरण करना;

(ग) न्यास और सोसाइटी से भिन्न पात्र व्यक्तियों को आवंटित भवनों का किराया विहित दर पर प्रभारित किया जायेगा;

(घ) आवंटितियों द्वारा किये गये अनधिकृत अध्यासन को मूल अधिनियम में उल्लिखित उपबन्धों के अधीन खाली कराया जायेगा।

तदनुसार राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1864 (2)/79-V-1–16-1(ka)-37-2016

Dated Lucknow, December 27, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Rajya Sampatti Vibhag ke Niyantranadhin Bhawano ka Avantan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 36 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 27, 2016.

THE ALLOTMENT OF HOUSES UNDER CONTROL OF THE ESTATE DEPARTMENT (AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act no. 36 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Allotment of Houses under Control of the Estate Department Act, 2016.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Allotment of Houses under Control of the Estate Department (Amendment) Act, 2016.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 2016

2. In section 2 of the Allotment of Houses under Control of the Estate Department Act, 2016 hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (n) the following clause shall be *inserted*, namely:–

"(o) 'Senior Journalist' means a journalist who has been related in any manner to any national daily News paper/news, T.V. channel for at least fifteen years and has worked as correspondent or has done the written or editing work at senior level."

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, in the list of eligibility for allotment, in serial no. 5, relating to type-5 houses *for* the words "Chairman/Members of various statutory commissions under the State Government" the words "Chairman/Members of various statutory commissions under the State Government and Senior Journalist" shall be *substituted.*

Amendment of section 6

4. In section 6 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) *for* the words "maximum period of 05 years" the words "period of ten years" shall be *substituted*; and

(b) *for* the words "five years" the words "ten years at a time" shall be *substituted.*

Amendment of section 7

5. *For* section 7 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:–

"7. The rent of the houses allotted under the provisions of this Act shall be charged at market rate in the case of Trust and Society, and in the case of other allottees the rent shall be charged at such rate as may be prescribed."

Amendment of section 8

6. *For* section 8 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"8. The unauthorised occupation by an allottee of this Act shall be evicted under the provisions of the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972 and the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Certain Unauthorised Occupants) Act, 2010."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Allotment of Houses under Control of the Estate Department Act, 2016 (U.P. Act no. 23 of 2016) has been enacted to regulate the Allotment of Houses under Control of the Estate Department to various persons, it has been decided to amend the said Act to provide for,—

(a) defining the words "Senior Journalist" and to include the "Senior Journalist" in the list of eligibility relating to type-5 houses;

(b) increasing the period of allotment of houses to a trust from five years to ten years and the renewal thereof from maximum period of five years to ten years at a time;

(c) the rent of houses alloted to the eligible persons other than the trust and society shall be charged at prescribed rate;

(d) the unauthorised occupation by the allottees shall be evicted under the provisions of acts mentioned in the principal Act.

The Allotment of Houses under Control of the Estate Department (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 650 राजपत्र(हि०)–2016–(1545)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 120 सा० विधायी–2016–(1546)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

क्रम-संख्या–39

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 मार्च, 2020

फाल्गुन 16, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 416/79-वि-1–20-1(क)-5-2020

लखनऊ, 6 मार्च, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 मार्च, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन

(संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन अधिनियम, 2016 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2016 के वृहत् नाम का संशोधन

2-राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन अधिनियम, 2016, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के वृहत् नाम के स्थान पर निम्नलिखित वृहत् नाम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, न्यासों तथा न्यायमूर्तिगण को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों के आवण्टन को विनियमित करने के लिए।"

धारा 2 का संशोधन

3-मूल अधिनियम में, धारा 2 में,-

(क) खण्ड (ट) को निकाल दिया जाएगा;

(ख) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जाएंगे, अर्थात् :-

"(त) 'बाजार दर' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से नियत दर से है;

(थ) 'सांविधिक आयोग' का तात्पर्य किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग से है।"

धारा 3 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि आवासों का प्रकार एवं उसकी विशिष्टियां ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"

धारा 4 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"4-राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों के आवण्टन की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

सारणी

क्रमांक	आवण्टन की पात्रता	भवनों के प्रकार
01	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारी;	एक
02	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'ग' एवं 'ख' के अराजपत्रित पदधारीगण;	दो-

क्रमांक	आवण्टन की पात्रता	भवनों के प्रकार
03	(1) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'ग' के राजपत्रित अधिकारीगण; (2) राज्य सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत समूह 'ख' के राजपत्रित अधिकारीगण;	तीन
04	(1) राज्य सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत समूह 'ख' के अधिकारीगण; (2) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुसचिव या उपसचिव या संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत समूह 'क' के अधिकारीगण; (3) न्यायिक सेवाओं के अधीनस्थ अधिकारीगण; (4) पत्रकार, सोसाइटी एवं मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ;	चार
	(5) उपलब्धता के अध्यधीन, राज्य सरकार के यथास्थिति विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों एवं संस्थाओं में नामनिर्दिष्ट नियुक्त/गैर सरकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यगण या सलाहकारगण;	चार (विधायक निवास-3, ओ0सी0आर0)
05	(1) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश सचिवालय के विशेष सचिव या सचिव या उसके समकक्ष पद पर कार्यरत समूह 'क' के अधिकारीगण; (2) उच्चतर न्यायिक सेवा के अपर जिला न्यायाधीशगण एवं समकक्ष वेतनमान में कार्यरत न्यायिक सेवा के अधिकारीगण;	पाँच

क्रमांक	आवण्टन की पात्रता	भवनों के प्रकार
	(3) न्यास; (4) राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सांविधिक आयोग तथा अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यगण; (5) वरिष्ठ पत्रकारगण;	पांच
06	(1) उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति; (2) प्रमुख सचिव की श्रेणी से अन्यून राज्य सरकार के अधिकारीगण; (3) जिला न्यायाधीश तथा समकक्ष वेतनमान के न्यायिक अधिकारी; (4) राजनैतिक दल; (5) संवैधानिक आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य।"	छः एवं सात

धारा 5 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 5 में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों एवं संस्थाओं में नामनिर्दिष्ट/नियुक्त यथास्थिति गैर सरकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों या सलाहकारों को भवन आवण्टन, राज्य सम्पत्ति विभाग के मंत्री के पूर्व अनुमोदन से राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा किया जायेगा।"

धारा 6 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 6 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात:-

"(3) किसी न्यास को भवन आवण्टन अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा तथा न्यास द्वारा आवेदन किए जाने पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अग्रतर अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकेगा;

(4) सांविधिक आयोगों या अधिकरणों के अध्यक्ष या सदस्य तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों एवं संस्थाओं में नामनिर्दिष्ट/ नियुक्त यथास्थिति गैर सरकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य या सलाहकार को भवन आवण्टन, उपर्युक्त पदों पर उनकी तैनाती के कार्यकाल तक के लिए किया जायेगा।"

उद्देश्य और कारण

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन विभिन्न व्यक्तियों हेतु विनियमित करने के लिए अर्थात् राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा/न्यायिक सेवा के अधिकारियों, विधान परिषद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, न्यासों, मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति/उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा न्यायमूर्तिगण हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन विनियमित करने के लिए राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2016), अधिनियमित किया गया है।

चूँकि विधान परिषद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, मंत्रियों, विधान परिषद के सभापति/उपसभापति और विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पक्ष में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों के आवण्टन हेतु उपबन्ध, पृथक-पृथक अधिनियमों में किए गए हैं, अतः एक ही प्रयोजन हेतु दो उपबन्धों से बचने के लिए निम्नलिखित उपबन्ध करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है :-

(क) शब्द 'विधान परिषद के सदस्यों', 'विधान सभा के सदस्यों', 'मंत्रियों', 'विधान परिषद के सभापति/उपसभापति' और 'विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष' और उनकी परिभाषाओं के साथ-साथ 'पूर्व मुख्यमंत्री' की परिभाषा को हटाया जाना।

(ख) शब्द 'बाजार दर' एवं 'सांविधिक आयोग' को परिभाषित किया जाना।

(ग) कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों को उक्त आवास आवण्टित किए जाने हेतु सम्मिलित किया जाना।

(घ) किसी न्यास को आवण्टित किए जाने वाले उक्त आवासों के आवण्टन एवं नवीकरण की अवधि को घटाकर दस वर्ष से पाँच वर्ष किया जाना।

तद्नुसार राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 416(2)/LXXIX-V-1-20-1(Ka)-5-2020
Dated Lucknow, March 6, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Rajya Sampatti Vibhag Ke Niyantranadhin Bhawano Ka Avantan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 5, 2020. The Rajya Sampatti Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE ALLOTMENT OF HOUSES UNDER CONTROL OF THE ESTATE DEPARTMENT (AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 2 of 2020)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Allotment of Houses under Control of the Estate Department Act, 2016.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Allotment of Houses under Control of the Estate Department (Amendment) Act, 2020.

Amendment of the long title of U.P. Act no. 23 of 2016

2. *For* the long title of the Allotment of Houses under Control of the Estate Department Act, 2016 hereinafter referred to as the principal Act, the following long title shall be *substituted*, namely:-

"to regulate the allotment of houses under the control of Estate Department of the State Government of Uttar Pradesh to the employees and officers of the State Government, Employees Association, political parties, journalist, officers of All India Service/Judicial Service, Trust and Justices."

Amendment of section 2

3. In the principal Act, in section 2,-

(a) clause (k) shall be *omitted*;

(b) *after* clause (o) the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(p) 'Market Rate' means the rate fixed by the State Government by notification from time to time;

(q)'Statutory Commission' means a Commission constituted by the State Government under any Act."

Amendment of section 3

4. In section 3 of the principal Act, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that the type of houses and their specifications shall be such, as the State Government may by notification specify."

Amendment of section 4

5. *For* section 4 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

"4. The eligibility for allotment of houses under control of the Estate Department shall be as follows :–

TABLE

Sl. No.	Eligibility for Allotment	Type of Houses
01	Group 'D' employees working under the State Government.	I
02	Group 'C' and 'B' Non Gazetted officials working under the State Government.	II
03	(1) Group 'C' Gazetted officers working under the State Government; (2) Gazetted officers of Group 'B' working under the State Government on the post of Review Officer of Uttar Pradesh Civil Secretariat or equivalent thereto.	III

Sl. No.	Eligibility for Allotment	Type of Houses
04	(1) Officers of Group 'B' working under the State Government on the post of Section Officer of Uttar Pradesh Civil Secretariat or equivalent thereto; (2) Officers of Group 'A' working under the State Government on the post of Under Secretary or Deputy Secretary or Joint Secretary of Uttar Pradesh Civil Secretariat or equivalent thereto; (3) Subordinate officers of the Judicial Services; (4) Journalists, Societies and recognized employees associations.	IV
	(5) Non-Government Chairman or Vice-Chairman or members or advisers as may be nominated/ appointed in various Departments, Corporations, undertakings, Councils, Commissions, Institutions of the State Government subject to availability.	IV (Vidhayak Niwas-3, O.C.R.)
05	(1) Officers of Group 'A' working under the State Government on the post of Special Secretary or Secretary of Uttar Pradesh Civil Secretariat or equivalent thereto; (2) Additional District Judges of higher Judicial Service and the officers of Judicial Service working in the equivalent pay scale; (3) Trusts; (4) Chairman and members of various statutory Commission and Tribunal under the State Government; (5) Senior Journalists.	V
06	(1) Judge of the High Court; (2) Officers of the State Government not below the rank of Principal Secretary; (3) District Judge and the Judicial officers of the equivalent pay-scale; (4) Political Parties; (5) Chairman and Member of Constitutional Commission."	VI and VII

Amendment of section 5

6. In section 5 of the principal Act, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that the allotment of houses to the Non-Government Chairman or Vice-Chairman or members or advisers, as may be, nominated/appointed in various Departments, Corporations, undertakings, Councils, Commissions, Institutions of the State Government shall be made by the Estate Officer with the prior approval of the Minister of Estate Deparment."

Amendment of section 6

7. In section 6 of the principal Act, *for* sub-section (3) the following sub-sections shall be *substituted*, namely:-

"(3) The allotment of houses to a trust will be made for a maximum period of five years and the renewal for a further maximum period of five years may be made by the Estate Department on an application made by the trust.

(4) The allotment of houses to a Chairman or member of Statutory Commissions or Tribunals and Non-Government Chairman or Vice-Chairman or member or advisers, as may be, nominated/appointed in various Departments, Corporations, undertakings, Councils, Commissions, Institutions of the State Government, shall be made for the period till the tenure of their posting on the above posts."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Allotment of Houses under Control of Estate Department Act, 2016 (U.P. Act no. 23 of 2016) has been enacted to regulate the Allotment of Houses under Control of the Estate Department to various persons, *i.e.* to regulate the allotment of houses under the control of Estate Department to the employees and officers of the State Government, Employees association, political parties, journalists, officers of All India Service/Judicial Service, Member of Legislative Council, Member of Legislative Assembly, Trusts, Ministers, Chairman/Deputy Chairman of Legislative Council, Speaker/Deputy Speaker of Legislative Assembly and Justices.

Since the provisions for allotment of houses under control of Estate Department in favour of Members of Legislative Council, Members of Legislative Assembly, Ministers, Chairman/ Deputy Chairman of Legislative Council and Speaker/Deputy Speaker of Legislative Assembly have been provided in separate Acts, to avoid two provisions for one purpose, it has been decided to amend the said Act to provide for,-

(a) omitting the words 'Member of Legislative Council', 'Member of Legislative Assembly', 'Ministers', 'Chairman/Deputy Chairman of Legislative Council', 'Speaker/ Deputy Speaker of Legislative Assembly' and the definitions thereof including the definition of 'Former Chief Minister' ;

(b) defining the words 'Market rate' and 'Statutory Commission';

(c) including certain category of persons for allotment of the said houses;

(d) reducing the period of allotment and renewal of the said houses to be allotted to a Trust from ten years to five years.

The Allotment of Houses under the Control of the Estate Department (Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 725 राजपत्र–(हिन्दी)–2020–(1748)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 157 सा0 विधायी–2020–(1749)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।